



Delhi Public School

Vindhyanager, Singrauli (M.P.) 486885

दिनांक: 01/04/2024

जिला अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाने वाली प्रत्येक कार्यालय / स्थल में लगाए जाने वाले बोर्ड का प्रारूप

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा निम्नानुसार है:-

1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना या
2. लैंगिक स्वीकृत के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, या 3. लैंगिक आभास वाली टिप्पड़ियाँ करना, या
4. अश्लील साहित्य दिखाना, या
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना

यदि कोई व्यक्ति आपके साथ उपरोक्त में से किसी प्रकार का अपमानजनक आचरण करता है तो आपके कार्यालय में ही निवारण के लिए आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई है। जो निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम	पद (विद्यालय)	पद (समिति)	हस्ताक्षर
1	श्रीमती इभा पाण्डेय	पी. जी. टी. (अंग्रेजी)	पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष)	
2	श्रीमती शिल्पी डी उपाध्याय	पी. जी. टी. (वाणिज्य)	सदस्य	
3	श्रीमती शुभा महाजन	पी. जी. टी. (रसायन)	सदस्य	
4	श्रीमती स्वाती जायसवाल	टी. जी. टी. (भौतिकी)	सदस्य	
5	श्रीमती पूनम मिश्रा	पी. आर. टी.	सदस्य	
6	डा. जनार्दन पाण्डेय	प्राचार्य	सदस्य	
7	श्री नवीन कुमार सिन्हा	हेडमास्टर	सदस्य	

आप निर्भीकता से इस समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पूर्णतः गोपनीय रहेगी।

कार्यालय / संस्था प्रमुख

नाम एवं पदनाम

डा. जनार्दन पाण्डेय

प्राचार्य

दिल्ली पब्लिक स्कूल, विंध्यनगर